अज अदालत : सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर
जिला हनुमानगढ

धापी आदि बनाम गोरूराम आदि

प्रकरण संख्या 183/2023

किस्म मुकदमा : 212 आर.टी. एक्ट

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नाजर व तारीख फर्द अहकाम की हुक्म की तामील जारी हुआ
28.07.2023	यह प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण की ओर से जरिये अधिवक्ता राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 212 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया । प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जावे । वकील प्रार्थीगण की इकतरफा बहस सुनी । पत्रावली का अवलोकन किया । प्रार्थना पत्र के संलग्न दस्तावेजों व शपथ पत्र के आधार पर प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थीगण के पक्ष में प्रतीत होता है । अत : प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज व शपथ पत्र के आधार पर इस आशय की अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि अप्रार्थी संख्या–01 आगामी तारीख पेशी तक रोही मौजा चक 3 केएनएन तहसील नोहर की जमाबन्दी संवत् 2071–2074 के खाता संख्या 25/25 के कुल खसरे 12 की 1.7230 हैक्टेयर वादभूमि में प्रार्थीगण के हक व हिस्से की भूमि को रहन, बैय, मुन्तकिल न करे । उपरोक्त स्थगन मंजूरशुदा रास्ता व मंजूरशुदा खाला पर लागू नहीं होगा । वकील प्रार्थीगण रजिस्टर्ड सम्मन पेश करें । पत्रावली वास्ते तलबी अप्रार्थीगण दिनांक : 31/08/2023 को पेश हो । सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर (हनुमानगढ)	
16/8/23	पत्रावली प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर पेश। [illegible] प्रार्थीगण प्रार्थना पत्र withdraw किया [illegible] हो चुका है। [illegible] प्रार्थना पत्र [illegible] खारिज है। अतः प्रार्थना पत्र [illegible] किया जावे। [illegible] दाखिल दफ्तर [illegible] उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर (हनुमानगढ)	

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.26 14:42:56 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner